न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 15/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. वागाराम पुत्र वालाराम उम्र 55 वर्ष 2. श्रवण कुमार पुत्र राउराम उम्र 35 वर्ष 3. सिंधूराम पुत्र लाधूराम उम्र 42 वर्ष, जातियान भील निवासी कातरला पटवार सुदाबेरी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर।		1. मोडाराम पुत्र प्रेमाराम उम्र 45 वर्ष 2. पपूदेवी बेवा प्रेमाराम उम्र 65 वर्ष, जातियान भील, निवासी कातरला, पटवार सुदाबेरी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर। 3. राज्य सरकार जरिए, तहसीलदार धोरीमना।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते, बंटवारा एवं निषेधाज्ञा

तारीख रजू : 23/3/22

अधिवक्ता :

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता वादीगण

—::निर्णय::—

दिनांक : 05/01/24

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 213, क्षेत्रफल 1.3355 हैक्टेयर रकबा 8–05 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है जिसे आगामी पदों में विवादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा जिसकी वर्तमान जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। ग्राम भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 213, क्षेत्रफल 1.3355 हैक्टेयर रकबा 8–.5 बीघा किस्म बारानी सोयम में वादीगण का 41/165 – 41/165 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 41/165 व प्रतिवादी संख्या 2 का 41/165 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/165 हिस्सा खुला हुआ है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा इसी अनुसार पूर्व में वर्षों से बंटवाड़ा किया हुआ है परंतु वर्तमान में जमीन की किमतें बढ़ने के कारण हर समय वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सेढ़े को लेकर विवाद होता रहता है तथा बंटवाड़ा नहीं होने से अपनी भूमि में सुधार करने किसी प्रकार के उपकरण स्थापित करने में सहमति लेकर काम करने में भारी समस्या होती है इसीलिए अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी होने से घोषित हिस्से का बंटवाड़ा का वाद पेश है। प्रतिवादीगण हर समय वादीगण के कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

काश्त में दखलअंदाजी करते हैं अवैध रूप से निर्माण करने पर उतारू हैं वादीगण के आने–जाने के रास्ते पर हर समय दखलअंदाजी करते रहते हैं रास्ता रोक देते हैं जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है यदि वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण जबरदस्ती निर्माण इत्यादि कर लेते हैं तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है इसीलिए वादीगण के कब्जा काश्त में व रास्ता पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का नया निर्माण, दखलअंदाजी, बाधा कारित नहीं करेंगे तथा मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है। बिनायदावा बमुकाम ग्राम भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमना में जब वादग्रस्त भूमि में वादीगण के नाम से 41/165 – 41/165 हिस्सा दर्ज हुआ परंतु सह खातेदार द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी व निर्माण की कोशिश की तब तब बमुकाम ग्राम भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमना में पैदा हुआ। यह है कि बंटवाड़े का दावा साथ होने से भूमिपति तहसीलदार धोरीमना को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई सारवान इस्तदुआ नहीं चाहने से उन्हें धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है तथा औपचारिक पक्षकार होने से 80(2) की पालना नहीं की गई। यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमना में स्थित होने एवं वाद कारण ग्राम भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमना में उत्पन्न होने से यह वाद माननीय न्यायालय के आर्थिक व स्थानीय क्षेत्राधिकार का है। यह है कि वाद धारा 53, 188 रा. का. अधि. के तहत होने से निश्चित कोर्ट फीस रुपए 02/– के स्टाम्प पेश है। यह है कि वादीगण की इस्तदुआ है कि निम्नांकित डिक्री बहक वादीगण एवं खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे :– ग्राम भादुओं भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 213, क्षेत्रफल 1.3355 हैक्टेयर रकबा 8–.5 बीघा किस्म बारानी सोयम में वादीगण का 41/165 – 41/165 हिस्सा प्रत्येक का कब्जा काश्त व बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अलग कर लगान अलग से तय कर खाता अलग कायम किया जावे। (ख) वादग्रस्त खेतों में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं की जावे व भूमि के बंटवाड़े से पूर्व किसी प्रकार की मौका व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं किया जावे वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण नया निर्माण नहीं करे दखलअंदाजी नहीं करे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। वाद का खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजि. किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिए रजि. नोटिस से तलब किया गया, प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत किया गया साक्ष्य वादी के दौरान राजस्व मौजा भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी के खसरा संख्या 213 रकबा 1.3355 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के भू–नक्शा को प्रदर्श–01 तथा वर्तमान जमाबंदी खसरा 213 को प्रदर्श–02 तथा वादी वागाराम के आधार कार्ड को प्रदर्श–3ए अंकित किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र को पी–डब्ल्यू 01 अंकित करते हुए वादी के बयानों को कलमबद्ध किया गया तथा साक्ष्य को पत्रावली पर बंद किया जाकर पत्रावली बहस में नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुना गया उस पर गौर करके मनन किया एवं पत्रावली, साक्ष्य शपथ पत्र, प्रदर्शित दस्तावेजों आदि का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया प्रदर्श 02 के अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्व मौजा भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमना की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 106 के खसरा संख्या 213 रकबा 1.3355 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के वादीगण संख्या 01 ता 03 एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 अभिलिखित खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, तथा सभी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 प्रत्येक का 41/165 हिस्सा दर्ज है, लिहाजा वादीगण द्वारा अपने हिस्सों की बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन की इस्तदुआ चाही गई है अतः हम

वादीगण के वर्तमान में जमाबंदी में दर्ज हिस्सों के अनुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री करवाया जाना उचित समझते हैं प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार धोरीमना के द्वारा न्यायालय हाजा में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किए।विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली मय विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे का हमने गहनता पूर्वक अवलोकन किया, हम माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद अतिंम डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान पृथक करना उचित समझते है। राजस्व मौजा मादुओं की बेरी के खाता संख्या 106 के खसरा संख्या 213 रकबा 1.3355 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का सहखातेदारों के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा घोषित किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रूपये में)	बरंग
1	वागाराम पुत्र वालाराम कौम. भील सा.देह खातेदार	213	0.3318	बा.दोयम	0.12	केसरिया
2	श्रवण कुमार पुत्र राउराम कौम भील सा.देह खातेदार	213	0.3319	बा.दोयम	0.12	पीला
3	सिंधुराम पुत्र लाधूराम कौम भील सा. देह खातेदार	213	0.3319	बा.दोयम	0.12	गुलाबी
4	मोडाराम पुत्र प्रेमाराम, पपूदेवी पत्नी प्रेमाराम कौम भील सा.देह खातेदार	213	0.3399	बा.दोयम	0.13	हरा

तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादीनी के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। खर्च पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक–05/01/24 को ...र–... इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

अतिंम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास : श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. वागाराम पुत्र वालाराम उम्र 55 वर्ष 2. श्रवण कुमार पुत्र राउराम उम्र 35 वर्ष 3. सिंधूराम पुत्र लाधूराम उम्र 42 वर्ष, जातियान भील निवासी कातरला पटवार सुदाबेरी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर।		1. मोडाराम पुत्र प्रेमाराम उम्र 45 वर्ष 2. पपूदेवी बेवा प्रेमाराम उम्र 65 वर्ष, जातियान भील, निवासी कातरला, पटवार सुदाबेरी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर। 3. राज्य सरकार जरिए, तहसीलदार धोरीमना।

मुकदमा नम्बर :— 15/2022
दावा बाबत् :— राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू—ब—रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा— भादुओं की बेरी, पटवार हल्का— सुदाबेरी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 213 रकबा 1.3355 किस्म बारानी दोयम की आई हुई है प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार धोरीमना के द्वारा न्यायालय हाजा में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किए।विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली मय विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे का हमने गहनता पूर्वक अवलोकरन किया, हम माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद अतिंम डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान पृथक करना उचित समझते है। राजस्व मौजा भादुओं की बेरी के खाता संख्या 106 के खसरा संख्या 213 रकबा 1.3355 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का सहखातेदारों के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा घोषित किया जाता हैः—

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रूपये में)	बरंग
1	वागाराम पुत्र वालाराम कौम. भील सा.देह खातेदार	213	0.3318	बा.दोयम	0.12	केसरिया
2	श्रवण कुमार पुत्र राउराम कौम भील सा.देह खातेदार	213	0.3319	बा.दोयम	0.12	पीला
3	सिंधुराम पुत्र लाधूराम कौम भील सा. देह खातेदार	213	0.3319	बा.दोयम	0.12	गुलाबी
4	मोडाराम पुत्र प्रेमाराम, पपूदेवी पत्नी प्रेमाराम कौम भील सा.देह खातेदार	213	0.3399	बा.दोयम	0.13	हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादीनी के कब्जे—काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। खर्च पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

25/01/24
सहायक कलक्टर धोरीमन्ना

नीज...............—................मुबलिक...................—.............बाबत्.....—..........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर...........—..........फीरा सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....—...............................को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05/01/24 को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला—बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested